

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

टावर 1 चतुर्थ तल पुलिस मुख्यालय शहीद पद गोमतीनगर विस्तार लखनऊ

संख्या:पॉच-111-आर(वरिष्ठता-पदोन्नति)/2025

दिनांक: अप्रैल, 07 2026


आदेश

उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक(नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली-2015 (यथा संशोधित) में निहित प्रावधानों के अनुसार अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर प्राधिकृत बोर्ड (चयन समिति) द्वारा निम्नलिखित मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस को उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति हेतु विचारित किया गया। शासनादेश संख्या 13/21/89-का -1-1997 दिनांक 28.05.1997 के खण्ड-2 (क), (ख), (ग) में अंकित परिस्थितियां विद्यमान होने के कारण चयन समिति द्वारा रिक्तियां सुरक्षित कर उनके प्रोन्नति चयन परिणाम को मुहर बन्द लिफाफो में रखे जाने का निर्णय लिया गया है:-

2- यह आदेश दिनांक 01-02-2026 से प्रभावी होगा।

क्र०सं०	वरिष्ठता क्रमांक	पीएनओ सं०	कार्मिक का नाम	नियुक्ति स्थान	मुहरबन्द लिफाफे का कारण	चयन वर्ष
1	2	3	4	5	6	7
1	21564	952480804	देवेन्द्र कुमार गौतम	कासगंज	मु०अ०सं०:166/1997 धारा 342, 218, 193, 120बी 925/25 सशस्त्र अधिनियम थाना किसनी मैनपुरी विचाराधीन न्यायालय होने के कारण।	2025

2- आदेश की प्रति उ०प्र० पुलिस की वेबसाइट <http://uppolice.gov.in> पर प्रदर्शित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया समस्त सम्बन्धित जनपद/इकाई उक्त आदेश की प्रति अपने स्तर से डाउनलोड कर उपरोक्त सभी सम्बन्धित मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस को मुहरबन्द होने के कारणों से संसूचित कराने का कष्ट करें।


 (मोदक राजेश डी० राव)
 पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना
 उत्तर प्रदेश।

संख्या तथा दिनांक वहीं

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को उपरोक्त संदर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1-अध्यक्ष, उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ।

2-अपर पुलिस महानिदेशक, आगरा जोन आगरा।

3-पुलिस अधीक्षक, कासगंज।